न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 52/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सुखाराम पुत्र सिमरथराम जाति सांसी निवासी ग्राम बोयल तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2019 अनवान सुखाराम बनाम सरकार मे दिनांक 28–2–2020 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 1–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम रईया नगर तहसील पीपाडशहर के खसरा नंबर 60 रकबा 227 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि मे से 10 बीघा भूमि की खातेदारी प्रार्थी को दिनांक 11–2–76 को आवंटन किया गया, जिसका खसरा नंबर 60/2 पडा । उक्त आवंटन के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम नामांतरकरण संख्या 169 गै.खातेदारी का इन्द्राज किया गया । उसके बाद प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त होने के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे नामांतरकरण संख्या 177 दिनांक 1–3–2016 को खातेदारी मे दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी (अपीलांट) ने उल्लेख किया कि प्रार्थी को खसरा नंबर 60/2 मे रकबा 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी परंतु पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 177 मे प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 60/2 की बजाय खसरा नंबर 60/38 दर्ज कर दिया, जो सद्भाविक लिपिकीय त्रुटि है, जिसको प्रार्थी दुरस्त करवाने का अधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रईया नगर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नंबर 60/2 रकबा 10 बीघा का लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने का निवेदन किया तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे खसरा नंबर 60/38 के स्थान पर खसरा नंबर 60/2 दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार पीपाडशहर से वस्तुस्थिति रिपोर्ट रेकर्ड पर लेने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–2–20 के द्वारा प्रार्थी

अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी को खसरा नंबर 60 की राजकीय भूमि मे से ही 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर प्रार्थी का वर्ष 1976 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कब्जे की भूमि का नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने मे कोई कानूनन बाधा नही है तथा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नक्शे मे तरमीम दुरस्ती के लिये ही है तथा उसका निस्तारण केवल कब्जे के आधार पर किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारीज कर दिया कि खसरा नंबर 60 राजकीय भूमि है, राजकीय भूमि पर बिना किसी विधिक आदेश के तरमीम नही की जा सकती है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक ने जानबूझकर अपीलांट को हैरान व परेशान करने की नियत से खसरा नंबर 60/38 की भूमि को प्रार्थी की भूमि होना बताया है जबकि खसरा नंबर 60/38 रकबा 15 बीघा भूमि ओगडराम पुत्र रतनाराम, दाखुदेवी बेवा रतनाराम, जीवली पुत्री रतनाराम जातियान जाट निवासीगण बोयल की खातेदारी की दर्ज है इसलिए भू अभिलेख निरीक्षक ने गलत तथ्यो से खसरा नंबर 60/38 की भूमि प्रार्थी अपीलांट की दर्ज कर दी जो कभी नही रही ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किये बिना प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व नियमो मे यह प्रावधान है कि किसी बडे रकबे मे से कुछ भूमि का आवंटन या हस्तांतरण किया जाता है तो उसका म्युटेशन के पीछे तरमीम दर्शाई जाती है तथा नक्शा ट्रेस मे उस भूमि को लाल स्याही से तरमीम की जाती है परंतु खसरा नंबर 60/2 रकबा 10 बीघा भूमि की आवंटन के आधार पर हल्का पटवारी ने सद्भाविक भूल से नक्शा ट्रेस मे भूमि को काश्त के अनुसार तरमीम नही किया है जबकि नक्शे मे तरमीम भौतिक कब्जे के आधार पर की जाना अनिवार्य है, जिसके लिए नक्शा मे तरमीम कराने हेतु प्रार्थी ने सही तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–2–2020 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाकर नक्शा ट्रेस मे खसरा नंबर 60/2 रकबा 10 बीघा भूमि की लाल स्याही से तरमीम किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार पीपाडशहर की ओर से मौके की जांच करवाकर प्रकरण मे पैरावाईज प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती के प्रार्थना पत्र का पैरावाईज जवाब को देखते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–2–2020 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार पीपाडशहर का जवाब आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया । अपीलांट का यह कथन है कि उसका सलंग्न नक्शा मार्क एबीसीडी की भूमि खसरा नंबर 60/2 रकबा 10 बीघा पर वर्ष 1976 वक्त आवंटन से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी ने अपनी आवंटनसुदा भूमि खसरा नंबर 60/2 रकबा 10 बीघा मे एक पट्टीनुमा कमरा तथा पानी का टांका का निर्माण करवाया तथा बारिस के मौसम मे प्रार्थी अपने उक्त खातेदारी के खेत पर ही निवास करता है परंतु राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 60/2 का इन्द्राज नही होकर खसरा नंबर 60/38 का इन्द्राज त्रुटिवश होने से उसे दुरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भी सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से तरमीम करने तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज खसरा नंबर 60/38 के स्थान पर खसरा नंबर 60/2 दर्ज करने का निवेदन किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर यह विवेचन देते हुए खारीज कर दिया कि प्रार्थी जिस जगह काबिज है वह खसरा नंबर 60 की भूमि है तथा प्रार्थी जिस भूमि पर अपना अधिकार बता रहा है उस भूमि पर ऐंमदीन पुत्र मुबारक खां जाति सिंधी के द्वारा पट्टियां रोपकर अतिक्रमण किया गया होने से उसके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही विचाराधीन है ।

इसके अलवा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थी जहां तरमीम करवाना चाह रहा है वह भूमि खसरा नंबर 60 का

भाग है जो राजकीय भूमि है तथा प्रार्थी के पक्ष मे राजकीय भूमि बिना किसी विधिक आदेश के तरमीम नही की जा सकती है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे प्रथमदृष्ट्यां किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही किया जाना पाया जाता है ।

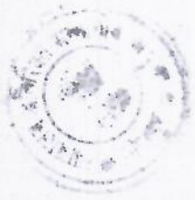

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–2–2021 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 1–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर